

खंड - II : पुरस्कार के लिए पात्रता

1. पुरस्कार वंश, जाति, लिंग या पन्थ के भेदभाव या पक्षपात के बिना सभी भारतीय गैर-सरकारी संगठनों और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए खुले हैं ।
2. पुरस्कार हेतु पात्रता के लिए सामान्य रूप से यह आवश्यक होगा कि किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संहिता के भाग-IV के अनुसार मानव अधिकार कार्यकर्ताओं की लिखित में संस्तुति की गई हो ।
3. छानबीन समिति और चयन समिति द्वारा पुरस्कार के लिए वैयक्तिक आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।